न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट दोहली)
पीठासीन अधिकारी : श्री संजय शर्मा आरएएस
मुकदमा नं0 1/111 /2011

निर्णय दिनांक : 13.06.2016

उनवान

1. फाता बेवा श्री मल्लड दत्तक पुत्र जाति मीरासी निवासी ग्राम मुकन्दबास तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।
2. महरूना पुत्र श्री मल्लड जाति मीरासी नाबालिग जर्ये सरपरस्त माता श्रीमती फाता बेवा मल्लड निवासी ग्राम मुकन्दबास तहसील रामगढ जिला अलवर। वारिसान काबिजान जायदाद छुटटन पुत्र गब्दू व मल्लड।

.....वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार रामगढ।

.....प्रतिवादी

(अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट)

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र धारा 88, 89 आरटीएक्ट इस आश्य का पेश किया है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 533 रकबा 0.20 हैक्ट0 वाके ग्राम मुकन्दबास तहसील रामगढ जिला अलवर राज0 में स्थित है, जो आराजी वाद में विवादित है। विवादित आराजी छुटटन पुत्र गल्लू मिरासी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी जिस आराजी पर छुटटन काबिज रहकर काश्त करता था और छुटटन शादीशुदा नही था और छुटटन खां हम वादीगण के पति व पिता मल्लड का चाचा लगता था और छुटटन खां ने हम वादीगण के पति मल्लड को गोद लिया हुआ था और छुटटन के जीवनकाल में ही हम वादीगण के पति व पिता इस आराजी को बोते व जोतता था और छुटटन का स्वर्गवास दिनांक 02.04.85 को ग्राम मुकन्दबास तहसील रामगढ में हो गया और उसके मरने के बाद हम वादीगण के पिता व पति उक्त आराजी पर बहैसियत वारिस काबिज काश्तकार खातेदार छुटटन के हो गये और हमारे पति व पिता मल्लड का भी स्वर्गवास दिनांक 10.11.2008 को हो गया और मल्लड के मरने के बाद हम वादीगण इस आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है और आज भी मौके पर हमारा कब्जा है। हमारे अलावा किसी दीगर शक्स का कोई हक वो हिस्सा व सम्बन्ध वो सरोकार उपरोक्त आराजी से नही है।

अतः प्रार्थना है कि डिक्री बाबत घोषणात्मक सादिर फरमाई जाकर यह करार दिया जावे कि आराजी हाल खसरा नम्बर 533 रकबा 0.20 हैक्ट0 वाके ग्राम मुकन्दबास तहसील रामगढ जिला अलवर राज0 में स्थित है, पर अपने बुजुर्गान छुटटन व मल्लड के जीवनकाल से ही काबिज रहकर काश्तकार चले आ रहे है और काबिज है और इसी प्रकार कागजातमाल जमाबन्दी आदि में जो छुटटन पुत्र गल्लू

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

खां ने हम

के नाम का इन्द्राज हो रहा है उसके स्थान पर अपने नाम का इन्द्राज बहैसियत काबिज काश्तकार खातेदार के दर्ज कराने के अधिकारी है।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत दोहली में दिनांक 13.06.2016 को पेश हुई। पैरोकार सरकार ने लोक अदालत में जवाब प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी छुटटन पुत्र गल्यू मीरसी की खातेदारी भूमि है। जिस पर वादीगण खातेदारी अधिकार लेना चाहते है। छुटटन से वादीगण का क्या सम्बन्ध है? वादीगण द्वारा पुष्टि में कोई साक्ष्य या दस्तावेज संलग्न नही किये है।

वादीगण तथा प्रतिवादीगण ने राजस्व लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट दोहली में उपस्थित होकर इस प्रकार का राजीनामा पेश कर कथन किया कि छुटटन पुत्र गल्लू जो हमारा चाचा था जाति मीरासी नाऔलाद फौत हो गया जिसकी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 533 रकबा 0.20 हैक्ट0 में हम सभी वारिसान है। हम सब वारिसान स्वेच्छा से हमारे भाई की पत्नी फाता बेवा मल्लड के नाम उक्त आराजी को करना चाहते है उक्त आराजी फाता बेवा मल्लड के नाम कर दी जाये तो हमें किसी प्रकार का ऐतराज नही है। सरपंच ग्राम पंचायत दोहली द्वारा वारिसान प्रमाण व राजीनामा तस्दीक किया जो शामिल पत्रावली है।

पत्रावली का राजस्व लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत दोहली में अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामें के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना न्यायाचित प्रतीत होता है।

वादीगण का वाद संलग्न दस्तावेजात एवं उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 533 रकबा 0.20 हैक्ट0 वाके ग्राम मुकन्दबास तहसील रामगढ जिला अलवर राज0 के राजस्व रिकार्ड में जो छुटटन पुत्र गल्लू के नाम का इन्द्राज हो रहा है उसे कलमजन कर उसके स्थान पर वादीगण को काबिज काश्तकार खातेदार दर्ज करने की कार्यवाही तहसीलदार रामगढ करना सुनिश्चित करे। इसी प्रकार पर्चा डिक्री बनायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत दोहली में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट दोहली)
पीठासीन अधिकारी : श्री संजय शर्मा आरएएस
मुकदमा नं0 1/111 /2011

निर्णय दिनांक : 13.06.2016

उनवान

1. फाता बेवा श्री मल्लड दत्तक पुत्र जाति मीरासी निवासी ग्राम मुकन्दबास तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।
2. महरूना पुत्र श्री मल्लड जाति मीरासी नाबालिग जर्ये सरपरस्त माता श्रीमती फाता बेवा मल्लड निवासी ग्राम मुकन्दबास तहसील रामगढ जिला अलवर। वारिसान काबिजान जायदाद छुटटन पुत्र गब्दू व मल्लड।

.....वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार रामगढ।

.....प्रतिवादी

(अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट)

पर्चा डिक्री

वादीगण का वाद संलग्न दस्तावेजात एवं उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 533 रकबा 0.20 हैक्ट0 वाके ग्राम मुकन्दबास तहसील रामगढ जिला अलवर राज0 के राजस्व रिकार्ड में जो छुटटन पुत्र गल्लू के नाम का इन्द्राज हो रहा है उसे कलमजन कर उसके स्थान पर वादीगण को काबिज काश्तकार खातेदार दर्ज करने की कार्यवाही तहसीलदार रामगढ करना सुनिश्चित करे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 13.06..2016 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

खां ने हम वादीगण के पति व पिता